

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
उत्तमकुमार पुत्र मूलचंद गर्ग जाति गरूडा
निवासी फालना तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/757
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|---------------|--|---|
| 11/12/25 | <p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बरानी दायम कुल लगान 4.0000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> | |



सहायक कलक्टर एवं पदेन्
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
उत्तमकुमार पुत्र मूलचंद गंग जाति गरूडा
निवासी फालना तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 757
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 4.0000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/12/25 को जारी की गई।




(दिनेश विश्‍नोई),
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी बाली

नजरी नक्शा मौके अनुसार

ग्राम जाहती
 प.म. बेडल
 भू.अ.नि. वृत्त खण्ड
 तहसील बाली

S



Handwritten signatures and names:
 1. ...
 2. ...
 3. ...

पहचानकर्ता

Handwritten signature:
 श्रीरुलाल ...
 ...
 ...
 ...

| क्र.स. | काश्तकार का विवरण | नये काश्तकार बरंग द्वारा प्रदर्शित | हस्ताक्षर |
|--------|--|------------------------------------|-----------------|
| | उत्तमकुमार मुख मूलचंद्र गार्गि ... जाहती - गहना | | <u>Uttam</u> |
| | पुष्कराज पुत्र अंगारराज जाहती - मेघवाल | | <u>पुष्कराज</u> |
| | <u>Handwritten signature:</u> तहसीलदार (भू.अ.) बाली | | |